फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री परशुराम बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 251 'क' रा.का. अधिनियम पत्रावली संख्या : 08/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 02.09.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रभावित खातेदार को पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की। प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया कीं प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर की प्रार्थी की आराजी न. 2735 में आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया जिस पर तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी की आराजी न. 2735 में पहूंच हेतु आराजी न. 2747, 2745, 2744, 2743, 2742, 2741 में से 15 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया।

पंत्रावली के अवलोकन से पाया कि आराजी न. 2747, 2745, 2744, 2743, 2742, 2741 के प्रभावित खातेदारों को प्रार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया हैं जिससे प्रार्थी को प्रभावित खातेदारो पक्षकार बनाये जाने हेतु आदेशित किया। प्रार्थी को प्रभावित खातेदारों को पक्षकार बनाये जाने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिसके अभाव में निर्णय किया जाना संभव नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रभावित खातेदार को पक्षकार बनाये जानें के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस स्तर पर पोषणीय नहीं होने ने अस्वीकार कर खारिज योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:41:27 IST
Reason: SelfAttested